कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री बद्रीराम व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि साथिन, जोधपुर का स्थानांतरण राउमावि सेतरावा, जोधपुर किया गया। श्री बद्रीराम ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 15715/2019 श्री बद्रीराम बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15715/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.19 द्वारा याचिकार्थी श्री बद्रीराम को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने के 10 दिवस के निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए। याचिकार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.092019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी के संबंध में स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री बद्रीराम द्वारा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पत्नी रीढ की बीमारी से ग्रसित होने व दोनो पुत्र वायु सेना में कार्यरत होने तथा स्थानांतरण स्थान 200 किमी की दुरी पर स्थित होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि बागोरिया, जोधपुर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त है।

याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। याचिकार्थी का स्थानांतरण वर्तमान जोधपुर जिले में हीं किया गया है, किसी अन्य जिले में नहीं। याचिकार्थी स्थानांतरित पद पर दिनांक 04.10.19 को कार्यग्रहण कर चुका है। अतः अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19–20/46 **दिनांकः– 24 /10/2019**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
02. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा............................।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा..............................।
04. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,......................................।
05. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) ....।
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
08. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि. ....।
09. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)